राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 71 व 72/2015.....जिला–जयपुर।

उनवान– मैसर्स एम. जी. डी. उद्योग ,सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान–तृतीय,जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी राजस्थान–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज·	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2015	**खण्डपीठ** **श्री.सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1129/2015 व 1130/2015 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38 (4) के तहत पारित आदेश दिनांक 24.07.2015 को क्रमशः रू. 12,65,091/– व रू. 14,53,718/– की वसूली कार्यवाही को इस शर्त पर रोक स्वीकार की गई थी कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे, किन्तु अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त जमानत (adequate security) के बजाय श्योरिटी बॉण्ड (surety bond) प्रस्तुत किये,जिनको स्वीकार नहीं कर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही (coercive steps) करने हेतु नोटिस जारी किया है, जिससे क्षुब्ध होकर, प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त विविध प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा,अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। उभयपक्षीय बहस की विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश प्रदान करती है कि वह श्योरिटी बॉण्ड (surety bond) स्वीकार करें तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । 24.9.2015 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	